

हैक्टियर, आराजी नम्बर 282 रकबा 0.2592 हैक्टियर, आराजी नम्बर 283 रकबा 0.0540 हैक्टियर, कित्ता 25 कुल रकबा 10.6596 हैक्टियर भूमि स्थित हैं। उक्त आराजियात भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगणों का संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तवा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादीगणों का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। व प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया प्रकरण में बाई मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन से कोई आपत्ति नहीं है तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगा की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने वादपत्र में अंकित किये हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार हैं। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन चाहते हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा शोभ जी का गुडा, पटवार क्षेत्र शोभ जी का गुडा तहसील लसाडिया के परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 85 व पुराना 87 में वर्णित आराजी नम्बर 402 रकबा 0.0864 हैक्टियर, आराजी नम्बर 403 रकबा 0.1188 हैक्टियर आराजी नम्बर 404 रकबा 0.0648 हैक्टियर, आराजी नम्बर 414/1 रकबा 0.1836 हैक्टियर, आराजी नम्बर 415 रकबा 0.0432 हैक्टियर, आराजी नम्बर 416 रकबा 0.3240 हैक्टियर, आराजी नम्बर 417 रकबा 0.1620 हैक्टियर, आराजी नम्बर 418 रकबा 0.2052 हैक्टियर, आराजी नम्बर 419 रकबा 0.0324 हैक्टियर, आराजी नम्बर 420 रकबा 0.1836 हैक्टियर, आराजी नम्बर 421 रकबा 0.0972 हैक्टियर, कित्ता 11 कुल रकबा 1.5012 हैक्टियर भूमि परिशिष्ट (ख) खाता संख्या नया 184 पुराना 85 में वर्णित आराजी नम्बर 180 रकबा 4.4604 हैक्टियर, आराजी नम्बर 193 रकबा 2.9916 हैक्टियर, आराजी नम्बर 258 रकबा 0.2376 हैक्टियर, आराजी नम्बर 259 रकबा 0.2484 हैक्टियर, आराजी नम्बर 260 रकबा 0.1836 हैक्टियर, आराजी नम्बर 261 रकबा 0.1944 हैक्टियर, आराजी नम्बर 262 रकबा 0.0648 हैक्टियर, आराजी नम्बर 263 रकबा 0.1296 हैक्टियर, आराजी नम्बर 264 रकबा 0.0324 हैक्टियर,

आराजी नम्बर 265 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 266 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 267 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 268 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 272 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 273 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 274 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 276 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 277 रकबा 0.2484 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 278 रकबा 0.3888 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 279 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 280 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 281 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 282 रकबा 0.2592 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 283 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, किता 25 कुल रकबा 10.6596 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

वाद डिक्री

1. श्री नाहर सिंह पिता तख्तसिंह राजपुत निवासी शोभ जी का गुडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती भँवर कुंवर पत्नी श्री वागसिंह राजपुत निवासी शोभ जी का गुडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
2. श्रीमती भँवरी बाई पत्नी वरदा जी डॉंगी निवासी खेडसिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री मुकेश चौबिसा
प्रतिवादी की ओर से- श्री दीपक शर्मा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 13.03.2026 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा शोभ जी का गुडा, पटवार क्षेत्र शोभ जी का गुडा तहसील लसाडिया के परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 85 व पुराना 87 में वर्णित आराजी नम्बर 402 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 403 रकबा 0.1188 हैक्टेयर आराजी नम्बर 404 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 414/1 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 415 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 416 रकबा 0.3240 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 417 रकबा 0.1620 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 418 रकबा 0.2052 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 419 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 420 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 421 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, कित्ता 11 कुल रकबा 1.5012 हैक्टेयर भूमि परिशिष्ट (ख) खाता संख्या नया 184 पुराना 85 में वर्णित आराजी नम्बर 180 रकबा 4.4604 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 193 रकबा 2.9916 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 258 रकबा 0.2376 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 259 रकबा 0.2484 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 260 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 261 रकबा 0.1944 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 262 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 263 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 264 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 265 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 266 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 267 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 268 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 272 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 273 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 274 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 276 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 277 रकबा 0.2484 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 278 रकबा 0.3888 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 279 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 280 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 281 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 282 रकबा 0.2592 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 283 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, कित्ता 25 कुल रकबा 10.6596 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (रा)

को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)